[18/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 766]

परिशिष्ट अ

कार्यालय नायब तहसीलदार मुलताई, वृत (दुनावा) जिला – बैतूल

मुलताई दिनांक 14/12/2020

क्रमांक / 2100 / प्रवा. / 2020

प्रति

कलेक्टर महोदय

भू–अभिलेख शाखा बैतूल

द्वारा – उचित माध्यम

विषय:– ग्राम– जाम, सिलादेही प.ह.न. 70, रा.नि.म. दुनावा मे मौसम रबी वर्ष 2019–20 की त्रुटिपुर्ण गिरदावरी को दुरूस्त किये जाने बाबत् ।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम जाम, सिलादेही प.ह.न. 70 रा.नि.म. दुनावा तह मुलताई के लगभग 40–50 कृषको की ओर से समक्ष मे आकर अवगत कराया गया कि चालू रबी सीजन वर्ष 2020–21 के रबी फसलो का बीमा सेवा सहकारी समिति बरखेड मे नहीं हो पा रहा है ।

सेवा सहकारी समिति बरखेड के प्रबधक से सपर्क करने पर बताया गया कि पोर्टल पर उक्त ग्रामो की गेहूँ की फसल सिंचित प्रदर्शित नही होने के कारण फसल बीमा नहीं हो पा रहा है । समस्या के सबध मे समिति प्रबंधक द्वारा उपायुक्त सहकारिता, सहकारी समिति बैतूल को लिखे गए पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है ।

हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर पटवारी श्री अनिल बड़ोदे द्वारा लिखित में राजस्व निरीक्षक वृत्त दुनावा के माध्यम से अवगत कराया गया कि उन्होने वर्ष 2019–20 मौसम रबी म गिरदावरी का कार्य किया था जिसके अनुसार हल्के (ग्राम सिलादेही एवं जाम) में कुल रकबा 640.020 हे गेहूँ का रकबा सारा पोर्टल पर दर्ज किया था ।

यह भी लेख किया गया, कि ग्राम सिलादेही में 45 हे. सिंचित गेहूँ तथा 263.549 हे असिंचित गेहूँ दर्ज किया गया तथा ग्राम जाम मे 35 हे सिंचित तथा 296.471 हे असिंचित गेहूँ दर्ज किया गया ।

इसके विपरीत वर्ष 2018–19 मे सिंचित गेहूँ का रकबा 410 हे ग्राम जाम मे तथा ग्राम सिलादेही मे 310 हे. होने का लेख किया गया ।

पटवारी द्वारा भूलवश वर्ष 2019–20 में गेहूँ फसल असिंचित दर्ज होना बताया गया एव संपूर्ण रकबे को सिंचित करने का लेख किया गया ।

पटवारी द्वारा वर्ष 2019–20 में उक्त हल्का क 70 में गेहूँ सिंचित का दर्ज रकबा 100 हे. से कम सारा पोर्टल पर दर्ज करने से म.प्र. राजपत्र दिनाक 11/11/2020 की अधिसूचना मे उक्त हल्के की गेहूँ फसल असिंचित के रूप में प्रकाशित हो गई जिस कारण चालू वर्ष मे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के पंजीयन नहीं हो पा रहे है ।

तत्संबंध में हल्का पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर कार्यवाही की जा रही है । अतः अनुरोध है कि पटवारी हल्का न 70 रा.नि.म. दुनावा तहसील मुलताई में वर्ष

पृ॰ 1/2

2019-20 में रबी सीजन की गिरदावरी में सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे जिससे नियत समय पर किसानों के फसल बीमा के पंजीयन का कार्य हो सके ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

नायब तहसीलदार
मुलताई
वृत-दुनावा

पृ.क्रं0 / प्रवा / 2020-21 मुलताई दिनॉक 14 / 12 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. समिति प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरखेड तहसील मुलताई की ओर सूचनार्थ ।

नायब तहसीलदार
मुलताई
वृत दुनावा

मूल०: अग्रेषित ।

14/12/20
तहसील॰दार मुलताई
तहसीलदार
मुलताई

Forwarded as proposed

15·12·20
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुलताई

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
बैतूल
प्रधान कार्यालय- कोठीबाजार
बैतूल(म.प्र.) पिन-460001
फोन नं.07141-230967,230262
232262,231462
ई-मेल:-jskb_btldccb@rediffmail.com
cbsbetul.mp@gmail.com

DISTRICT COOPERATIVE CENTRAL BANK LTD.BETUL
Head office-Kothi bazar
Betul(M.P) Pin-460001
Telephone No.07141-230967,230262
232262,231462
E-mail:- jskb_btldccb@rediffmail.com
cbsbetul.mp@gmail.com

क्रमांक/फिल्ड/प्रमंफबीयो/2020-21/3963 बैतूल दिनांक 8 DEC 2020

प्रति,

अधीक्षक
भू-अभिलेख,
बैतूल

विषय:- मौसम रबी 2020-21 में अधिसूचित फसलों के संबंध में।
संदर्भ:- मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक-447 दिनांक 11/11/2020

महोदय,

उपरोक्त् विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2020-21 में पटवारी हल्का,तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना संदर्भित राजपत्र से जारी की गई है,जिसमें बैतूल जिले की तहसील मुलताई, राजस्व निरक्षण मंडल दुनावा, के पं.ह. नम्बर 70, प.ह. नाम जाम में गेहूँ असिंचित फसल अधिसूचित है किन्तु संस्था बरखेड द्वारा अवगत कराया गया है कि पटवारी द्वारा उक्त हल्के में ग्राम सिलादेही में **308.549** एवं जाम ग्राम में **331.471** गेहूँ फसल का सिंचित रकबा दर्शाया गया है । पटवारी द्वारा दी गई जानकारी एवं अधिसूचित राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

अत: उक्त हल्के में गेहूँ असिंचित अधिसूचित होने से मौसम रबी 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों का बीमा नहीं किया जा सकता है यदि त्रुटिवश उक्त हल्के में गेहूँ असिंचित फसल दर्शाई गई है तो आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि कृषकों का बीमा किया जा सकें ।

संलग्न :- पटवारी द्वारा दी गई जानकारी।
अधिसूचित राजपत्र की छायाप्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
बैतूल

प्रतिलिपि/ क्रमांक/फिल्ड/प्रमंफबीयो/2020-21/3963 बैतूल दिनांक 8 DEC 2020

1/ संचालक (फसल बीमा) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2/ आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक ,सहकारी संस्थायें म.प्र.भोपाल।
3/ कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल।
4/ प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,भोपाल।
5/ उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला बैतूल।
6/ उपायुक्त सहकारिता,जिला बैतूल।

परिशिष्ट - 1
पृष्ठ 1 - 3 तक
(कुल - 3 पृष्ठ)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
बैतूल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल